


(171)



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर  
प्रकरण कमांक / 2013 पुनरीक्षण याचिका (जिला मुरैना)

पुनरीक्षणकर्ता

श्री. विजय सिंह कुशनाह, मुरैना

द्वारा आज दि. 2-1-13 को

प्रस्तुत

क.स. 27-1/13  
दस्तावेज नंबर  
राजस्व मण्डल

प्रतिप्रार्थीगण / प्रतिपुनरीक्षणकर्तागण

नवल सिंह पुत्र श्री घनश्याम सिंह  
निवासी-ग्राम मटकोरा खाम परगना  
जौरा जिला मुरैना म.प्र.

विरुद्ध

- 1 करतार सिंह
- 2 हरपाल सिंह
- 3 भारत सिंह पुत्रगण कोकसिंह
- 4 सन्दर बेटी पुत्री कोकसिंह
- 5 बेवा काशीबाई पत्नी कोकसिंह जाति गुर्जर,

समस्त निवासी-ग्राम मटकोरा खाम  
परगना जौरा जिला मुरैना म.प्र.

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 विरुद्ध आदेश दिनांकी  
29-11-2012, पारित प्रकरण कमांक 147/2010-11/अपील द्वारा  
न्यायालय अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना म.प्र. श्री एस.पी. सलूजा।

माननीय महोदय,

आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता की ओर से याचिका सादर प्रस्तुत है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :

- 1 यहकि, आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता एवं प्रतिप्रार्थीगण के शामलाती खाते की भूमियाँ ग्राम मटकोरा खाम तहसील जौरा मे स्थित है, तथा उक्त भूमि के बटवारे हेतु आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता एवं प्रतिप्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय माननीय तहसीलदार महोदय जौरा के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था। उक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत कर आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता एवं प्रतिप्रार्थीगण द्वारा यह व्यक्त किया गया था, विवादित भूमियों मे आधा-आधा हिस्सा है, तथा आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता एवं प्रतिप्रार्थीगण द्वारा माननीय विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह भी व्यक्त किया गया कि मौके पर आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता एवं प्रतिप्रार्थीगण के मध्य आपसी बंटवारा हो चुका है, तथा बंटवारे के अनुसार उपभयपक्ष अपने-अपने भागों का आधिपत्यधारी होकर अपने-अपने भाग का उपयोग व उपभोग कर रहें हैं, तथा उक्त आपसी मौखिक बंटवारे को ही कानूनी रूप से कर दिया जाने की प्रार्थना आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता एवं प्रतिप्रार्थीगण द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष की।

(2)

h - 17 - 13

26.7.17

आवेदन अफिल की देखभाल

✓  
26.7.017

भारत का आवेदन दिनांक 19.2.16 से अनुपस्थित है। आज भी कोर्ट पराम तीन बार आवेदन लगाया गया परन्तु कोर्ट उप. नहीं। जकारि आवेदन अफिल विनोद शिवालय उप।  
अनः अनुपस्थिति की स्थिति

में उनका प्रकट अडम पैकी से एवम (अपना का है) बरकें गारिल  
दीदी

✓